संख्या: 17/2022/340/1610847/12-2099/39/2022

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 16 मार्च, 2022

विषय: नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अन्तर्गत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8904-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन एण्ड टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत रू. 2258.45 लाख के राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अन्तर्गत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8904-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन एण्ड टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत रू. 2258.45 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत राज्यांश की धनराशि का आहरण राज्य स्तर पर केनरा बैंक में संचालित (SMAM) SNA के बैंक खाता संख्या-110009531556 में अन्तरित किए जाने विषयक अपने पत्र संख्या: अभि./2659/एस.एम.ए.एम-लेखा/2021-22, दिनॉक 15 मार्च, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. प्रश्नगत प्रकरण में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 6/2021/बी-1-499/दस-2021, दिनॉक 24 जून, 2021 (प्रति संलग्न) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने स्तर स्तर से धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित कर SNA के खाते के माध्यम से धनराशि का अन्तरण जनपद स्तर पर इम्पलीमेन्टिंग एजेन्सी को किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3. तदनुसार उक्त सीमा तक कार्यालय आदेश संख्या: 15/2022/04/1589512/12-2099/4-2022, दिनांक 14 मार्च, 2022 संशोधित समझा जाए, कार्यालय आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 17/2022/340/1610847(1)/12-2099/39/2022 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. संयुक्त सचिव,भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
5. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक)-1/2/कृषि अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in